इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने भगौड़े ज्वैलर नीरव मोदी, उसके भाई नीशल मोदी और निकट सहयोगी सुभाष पराब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि तीनों के खिलाफ RCN जारी होने के बाद अब उन्हें इंटरपोल के सदस्य देशों में से किसी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
- इसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
- इस नोटिस के जारी होने से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में ₹ 14,356 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में नीरव मोदी को खोजने वाली भारतीय एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी।

रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) क्या है?

- RCN सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।
- इंटरनेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के अनुरोध पर इंटरपोल के जनरल सचिवालय द्वारा नोटिस प्रकाशित किये जाते हैं।
- इसे किसी भी संगठन की आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया जा सकता है जैसे- अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश।
- वर्तमान में इंटरपोल में 192 सदस्य देश शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/interpol-issued-red-corner-notice